अपर मुख्य सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20–07–2015 को One Village One Farm Concept के सम्बन्ध में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्तः

उत्तराखण्ड नीति नियोजन समूह (PPG), उत्तराखण्ड सरकार के सदस्य डॉ0 बी0पी0 मैठाणी द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामों में अलाभकारी हो रही खेती तथा वहां से हो रहे पलायन की समस्या के निराकरण हेतु One Village One Farm Concept की अवधारणा युक्त एक वैकल्पिक रणनीति का सुझाव नियोजन विभाग का प्रस्तुत किया गया। उसी परिपेक्ष्य में दिनांक 20 जुलाई, 2015 को अपर मुख्य सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में **संलग्नक** के अनुसार अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में मा0 सदस्य द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं:

1– चूंकि राज्य की आर्थिकी में कृषि तथा संवर्गीय सेक्टर का योगदान गत दस वर्षों में लगभग 23 प्रतिशत से 14 प्रतिशत हो गया है तथा पर्वतीय कृषि में भी कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल के सापेक्ष मात्र 9 प्रतिशत क्षेत्रफल पर ही बुवाई हो रही है तथा Land Holding Consolidate न होने के कारण कृषक भी सामान्यतः कृषि गतिविधियों को छोड़कर शहरी क्षेत्र की ओर पलायन करते हुए आजीविका के साधनों की ओर अग्रसर है। अतः यदि कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्र विशेषकर कृषि, उद्यान मत्स्य आदि क्रियाकलापों को एक गांव में एक फार्म के रूप में विकसित कर दिया जाय तो सम्भवतः जहां एक ओर ग्रामवासियों का रूझान कृषि–उद्यान आदि की ओर बढ़ेगा वहीं Agriculture Business Model को स्थापित कर Surplus उत्पादन को निकटस्थ बाजार में विक्रय किया जा सकेगा।

2– चूंकि सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में 93 प्रतिशत कृषकों के पास छोटी तथा बिखरी Land Holding होती है एवं कृषि–औद्योनीकरण कार्यों हेतु उक्त भूमि में अधिक श्रम तथा कम उत्पादन दृष्टिगत हुआ है। अतः One Village One Farm Concept में गांव की सम्बन्धित कृषि भूमि की Pooling करते हुए सहकारी समिति अथवा एक कम्पनी गठित कर कृषि कार्यों को बढ़ावा देने पर विचार किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में गाँव में पूर्व से गठित SHG के सदस्यों के माध्यम से Company गठित करने पर अधिक सुविधा हो सकती है।

3– One Village One Farm के Concept को वास्तविक रूप से क्रियान्वयन हेतु गाँव के किसी प्रगतिशील (Progressive) कृषक की अध्यक्षता में संस्थागत व्यवस्था को सुनिश्चित करना होगा जिसमें कृषि–विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के अनुभवी तथा योग्य पोस्ट ग्रेजुएट युवक/युवती को परियोजना अधिकारी के रूप में लिये जाने पर विचार किया जा सकता है। उक्त व्यवस्था में ग्राम पंचायत/वन पंचायत की भी भागीदारी सुनिश्चित किया जाना उचित होगा। यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि इस व्यवस्था हेतु नामित अध्यक्ष की भूमि भी संयोजित (Pooling) की जानी आवश्यक होगी।

4– उक्त कार्यों को संचालित करने हेतु NRLM, MNREGA, Horticulture Mission, IWMP, MI कृषि, पशुपालन, सामाजिक वानिकी आदि से प्राप्त विभागीय वित्तीय संसाधनों को Pool कर संसाधनों की व्यवस्था की जा सकती है जबकि RKVY, NABARD तथा राज्य में स्थित उद्योगों

संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन

के CSR Fund के माध्यम से भी Funding के Gap को पूरा किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में उद्योग जगत से ग्रामों को Adopt करने हेतु प्रेरित भी किया जा सकता है।

ग्राम गौरीकोट केस स्टडी

डॉ0 मैठाणी के प्रस्तुतीकरण के पश्चात समेकित सहकारिता विकास परियोजना, सहकारिता विभाग, पौड़ी के माध्यम से प्रायोजित गौरी महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) ग्राम–गौरीकोट जनपद–पौड़ी गढ़वाल द्वारा सहकारिता, सिंचाई, कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य विकास एवं अन्य विभागों की सहायता/अनुदान के आधार पर समूह द्वारा किये गये प्रयासों, अनुभवों एवं सफल परिणामों पर प्रस्तुतीकरण किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

1– SHG व अन्य परिवारों कुल 16 परिवारों द्वारा मिलकर 4 है0 भूमि की Pooling की गई। उक्त 4 है0 में 16 परिवारों के अतिरिक्त ऐसी व्यक्तियों की भूमि भी ली गई है जो ग्राम से बाहर निवास करते हैं। इस प्रकार वृहद SHG का गठन किया गया।

2– सहकारिता विभाग के ICDP योजना के अन्तर्गत उक्त समूह को 1 लाख की Seed Money उपलब्ध कराई गई।

3– विभिन्न रेखीय विभागों जैसे कृषि, उद्यान आदि द्वारा सम्बन्धित कार्य आवश्यकतानुसार समूह के कार्यों को सफल बनाने हेतु किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:

1) कृषि विभाग द्वारा पावर वीडर, वर्मी कम्पोस्ट, वाटर पम्प तथा पाइप उपलब्ध कराया गया।
2) उद्यान विभाग द्वारा बीज, कीटनाशक तथा कैरेट उपलब्ध कराया गया।
3) लघु सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की गई।
4) SHG/ICDP द्वारा मछली तालाब का निर्माण किया गया।
5) ICDP द्वारा मत्स्य हैचरी तथा पॉल्ट्री के कार्य कराये गये।

उक्त Model में वित्तीय संसाधनों एवं अब तक हुई कार्यवाही का सामान्य विवरण भी निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया:

क्र0 सं0	मद	धनराशि	सहायतित संस्था	संसाधन उपलब्ध कराने की अवधि
1	आरम्भिक पूंजी	1,00,000	ICDP द्वारा	जनवरी 2014
2	मत्स्य हैचरी तथा पॉल्ट्री	3,70,000	ICDP द्वारा	अक्टूबर 2014
3	पावर वीडर, वर्मी कम्पोस्ट, पाइप, वाटर पम्प	1,79,000	कृषि विभाग	जनवरी 2014 से जून 2015 तक
4	बीज, कीटनाशक, कैरेट	13,000	उद्यान विभाग	जनवरी 2015
5	3 पॉलीहाउस	1,20,000	World Vision India NGO	अप्रैल 2015
6	सिंचाई व्यवस्था	4,00,000	लघु सिंचाई	नवम्बर 2014
7	मछली तालाब निर्माण	90,000	SHG/ICDP	मई 2015
कुल लागत		12,72,000.00		

उक्त कार्य अभी मात्र 10–15 नाली भूमि पर गांव में गठित महिला एवं पुरूषों के स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है जिन्होंने अभी तक गत एक वर्ष में मौसमी सब्जी पुष्प उत्पादन, मुर्गी पालन तथा मत्स्य पालन से क्रमशः रू0 1,68,000, 15000, 28000 तथा रू0 5000 कुल रू0 2,16,000 का राजस्व/लाभ प्राप्त किया है जबकि अवशेष भूमि में सुधारीकरण के पश्चात उपलब्ध 50 नाली भूमि में 6,74,500 का लाभ अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है।

गौरीकोट स्वयं सहायता समूह के कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु सहकारिता विभाग के सहायक निबन्धक द्वारा समूह, विभिन्न विभागों तथा मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के मध्य Facilitator का कार्य किया गया।

इस प्रकार उक्त समूह द्वारा भूमि संयोजन (Land Pooling), श्रम संयोजन (Pooling of Labour) तथा वित्तीय संयोजन (Capital Pooling) करते हुए जनपद के रेखीय विभागों की योजनाओं के समाभिरूपता (Convergence) के माध्यम से कार्य को पूर्ण किया गया।

अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा गौरी महिला समूह के प्रतिनिधियों द्वारा किये गये कार्यों की सराहना की गयी तथा **अधिकारियों से समूह द्वारा प्रस्तुत किये गये मॉडल के अनुसार राज्य में पलायन, असिंचित भूमि विकास, बेरोजगारी एवं अन्य मूलभूत समस्याओं के निराकरण हेतु विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों हेतु पायलट आधार पर प्रत्येक जनपद में कम से कम एक गांव में उक्त प्रयोग किये जाने के निर्देश दिये गये।**

सहकारिता विभाग का सुझाव

सचिव सहकारिता द्वारा One Village One Farm के अन्तर्गत कृषि एवं संबर्गीय गतिविधियों के नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में उपलब्ध प्रारम्भिक कृषि सहकारी समितियां (Primary Agriculture Co-operative Societies) जो पूर्व से स्थापित एक संस्था है तथा वर्तमान में कृषकों को ऋण देने, खाद वितरण, बीज वितरण आदि से सम्बन्धित कार्य करती है के माध्यम से कार्य कराये जाने का सुझाव दिया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि PACS के वर्तमान Scope में One Village One Farm कार्यक्रम को लागू करने हेतु Bylaws में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता होगी।

सहकारिता विभाग द्वारा बताया गया कि गाँव की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए चूँकि कृषि क्षेत्र में Scale बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है, अतः Scope को बढ़ाकर कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

बैठक में प्राप्त सुझाव, डॉ0 मैठाणी के One Village One Farm अवधारणा के रणनीतिक बिन्दुओं, गौरी महिला समूह पौड़ी के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए सचिव सहकारिता को निर्देश दिये गये कि वे PACS के माध्यम से उक्त कार्य को कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव नियोजन विभाग को उपलब्ध करायें तथा नियोजन विभाग उक्त प्रस्ताव का परीक्षण, संसाधन व्यवस्था आदि पर अपना मंतव्य देकर तदनुसार उक्त योजना को पायलट आधार पर चलाये जाने हेतु अपनी आख्या अविलम्ब उपलब्ध करावें जिससे प्रस्तावित योजना को मूर्तरूप प्रदान किया जा सके तथा पर्वतीय कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाकर बेरोजगारी तथा पलायन की समस्या को भी रोका जा सके।

नियोजन विभाग का मत

नियोजन विभाग के अधिकारियों द्वारा One Village One Farm के सम्बन्ध में अपना मन्तव्य निम्नानुसार दिया:

- सहकारिता विभाग को उक्त कार्य किये जाने हेतु सुगमता (Facilitation) के लिए नोडल विभाग बनाया जाना चाहिए।
- PACS की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत PACS को लिया जाना उचित नहीं है। चूंकि वर्तमान में ज्यादातर ग्रामों में PACS अक्रियाशील है।
- PACS को लिया जाना आवश्यक ही हो तो PACS का Assessment किया जाना उचित होगा जिससे भविष्य में यह कार्यक्रम अक्रियाशील ना होने पाये।
- इस कार्यक्रम को किसी एक विभाग की योजना के रूप में न रखा जाय।
- प्रारम्भिक धन (Seed Money) उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद में प्राप्त प्रस्ताव को सहकारिता विभाग द्वारा मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से शासन को प्रेषित करना होगा।
- प्रारम्भिक धन (Seed Money) उपलब्ध कराने हेतु यथावश्यक राज्य में गठित UPASaC (उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्धन कम्पनी), State Micro Finance Institution (State MFI) तथा NABARD की सहायता ली जानी उचित होगी।
- रेखीय विभागों को शासन स्तर पर सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम को लागू कराये जाने हेतु निर्देश प्रसारित किये जाने होंगे जिससे विभाग जिला योजना अथवा राज्य सेक्टर योजना में अपेक्षित धनराशि का प्राविधान कर सके।
- उक्त योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन राज्य स्तर पर राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) तथा जनपद स्तर पर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय के माध्यम से किया जाना उचित होगा। जनपद तथा राज्य स्तर पर नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की निम्नानुसार व्यवस्था की जानी उचित होगी।

राज्य स्तर

अपर मुख्य सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास

⇩

नियोजन विभाग ⟺ **सहकारिता विभाग**

(नियोजन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य)

(सुगमता (Facilitation) हेतु नोडल विभाग)

⇩

क्रियान्वयन व्यवस्था एवं विभाग

(कृषि, उद्यान, दुग्ध विकास, पशुपालन, मत्स्य, जलागम, वानिकी आदि रेखीय विभाग)

जनपद स्तर
मुख्य विकास अधिकारी
⇓

अर्थ एवं संख्याधिकारी ⟷ **सहायक निबन्धक सहकारिता**

(नियोजन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य) — (सुगमता (Facilitation) हेतु नोडल विभाग)

⇓

जनपदीय क्रियान्वयन व्यवस्था एवं विभाग
(कृषि, उद्यान, दुग्ध विकास, पशुपालन, मत्स्य, जलागम, वानिकी आदि रेखीय विभाग)

- उक्त योजना को प्रत्येक पर्वतीय जनपदों में जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत रखा जाना भी उचित होगा, जिससे सम्बन्धित समस्त विभाग सम्बन्धित ग्रामों हेतु कतिपय धनराशि का स्थानीय स्तर पर ही प्राविधान कर सके।

आरम्भ से ही शासन का लक्ष्य (Goal) रहा है कि ग्राम स्तर पर यथावश्यक विभागीय कार्यक्रमों के Convergence तथा भूमि, श्रम तथा वित्तीय संधाधनों की Pooling/Dovetailing की जानी चाहिए, जिससे योजनाओं का संचालन प्रभावी एवं पारदर्शी हो सके। इसी प्रकार वर्तमान में मा0 मुख्यमंत्री जी का स्वैच्छिक चकबन्दी पर विशेष ध्यान है परन्तु अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहीं हो पा रहा है जबकि One Village One Farm योजना के माध्यम से गांवों में कृषि भूमि की परोक्ष चकबन्दी (Virtual Consolidation) भी की जा सकती है। इस प्रकार उक्त कार्यक्रम को उपरोक्त बिन्दुओं के अनुरूप पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए इस प्रकार के प्रोजेक्ट को विभागीय योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर रखे जाने के निर्देश दिये गये।

अन्त में अपर मुख्य सचिव द्वारा सभी का आभार प्रकट करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अनुमोदित

(एस0 राजू)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 983 / 49-पी0पी0जी0 / रा0यो0आ0 / 2014 दिनांक 11 ~~जुलाई~~ अगस्त 2015
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3– श्री इन्दु कुमार पाण्डे, सदस्य संयोजक, पी0पी0जी0, उत्तराखण्ड।
4– डॉ0 बी0पी0 मैठाणी, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड नीति नियोजन समूह, देहरादून।

5— प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, वन, कृषि, उद्यान, जलागम, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, राजस्व, ग्राम्य विकास एवं सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

6— मुख्य समन्वय अधिकारी, राज्य योजना आयोग (पी0पी0जी0), उत्तराखण्ड।

7— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

8— निदेशक, कृषि, उद्यान, जलागम, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव।